क़र्ज़दार आदमी का हज्ज

[*हिन्दी*]

هل يجب الحج على من عليه الدين؟

[اللغة الهندية]

लेख

शैख़ मुहम्मद बिन सालेह अल-उसैमीन रहिमहुल्लाह

فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

अनुवाद

अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह

ترجمة: عطاءالرحمن ضياء الله

संशोधन

शफीकुर्रहमान ज़ियाउल्लाह मदनी

مراجعة: شفيق الرحمن ضياء الله المدني

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة

الرياض - المملكة العربية السعودية

इस्लामी आमन्त्रण एंव निर्देश कार्यालय रब्वा, रियाज़, सऊदी अरब

1428 - 2007

islamhouse.com

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ जो अति मेहरबान और दयालु है।

हर प्रकार की प्रशंसा सर्व जगत के पालन हार अल्लाह तआला के लिए योग्य है, तथा अल्लाह की कृपा एंव शांती अवतरित हो अन्तिम संदेष्टा मुहम्मद पर, तथा आप के साथियों, आप की संतान और आप के मानने वालों पर।

अधिकांश लोग यह प्रश्न करते रहते हैं कि 'क्या कर्ज़दार आदमी पर हज्ज अनिवार्य है?' इस विषय में सऊदी अरब के एक महा विद्वान मुहम्मद बिन सालेह बिन उसैमीन रहिमहुल्लाह से पूछा गया यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पाठकों की सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा हैं, आशा है कि यह फत्वा कर्ज़दार आदमी के हज्ज के विषय में जानकारी प्रदान करने में लाभदायक सिद्ध होगा। (अ.र.)

प्रश्न : क्या क़र्ज़दार आदमी पर हज्ज अनिवार्य है?

उत्तर : यदि मनुष्य पर इतना क़र्ज़ हो जो उसके सम्पूर्ण माल के बराबर हो तो उस पर हज्ज अनिवार्य नहीं है; क्योंकि अल्लाह तआला ने हज्ज उस आदमी पर अनिवार्य किया है जो उसकी शक्ति रखता हो। अल्लाह तआला का फर्मान है:

﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ [آل عمران:٩٧]

"अल्लाह तआला ने उन लोगों पर इस घर का हज्ज अनिवार्य कर दिया है जो यहाँ तक पहुँचने की शक्ति रखते हैं।" (सूरत आल-इम्रानः९७)

और जिस व्यक्ति पर इतना क़र्ज़ हो कि उसे अदा करने के बाद उस के पास कुछ भी न बचे तो उस के पास हज्ज की शक्ति नहीं है। अतः वह पहले अपना क़र्ज़ चुकाए फिर तत्व पश्चात जब उस के लिए आसानी पैदा हा जाए, तो हज्ज करे।

किन्तु यदि क़र्ज़ उस के माल से कम हो अर्थात क़र्ज़ चुकाने के बाद उस के पास इतना माल बच जाए जिस से वह हज्ज कर सकता है, तो ऐसी अवस्था मे वह अपना क़र्ज़ अदा करे फिर हज्ज करे, हज्ज चाहे फर्ज़ हो या नफ्ल। किन्तु हज्ज फर्ज़ हो तो उस के लिए अनिवार्य है कि वह उसे शीघ्र अदा करे और यदि हज्ज फर्ज़ न हो तो उसकी इच्छा पर निर्भर है, यदि चाहे तो अदा करे और यदि न चाहे तो उस पर कोई गुनाह नहीं।

अनुवादक

(अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह**)***

***atazia75@gmail.com**